UPFD010037852021

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश

(द०प्र०क्षे०) कोर्ट सं०–11 फिरोजाबाद

जमानत प्रार्थना पत्र सं.–1727/2021

पंकज पुत्र स्व० संतोष निवासी मौहल्ल संतोष नगर गली नं० 9/3 फिरोजाबाद थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद।

.....अभियुक्त

बनाम

उ०प्र०सरकार

.....विपक्षी

मु०अ०सं०–248/2021

धारा–41/102 सी–आर०पी०सी० एवं

414 भा०द०सं०

थाना–रसूलपुर, जिला फिरोजाबाद

आदेश

यह जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक/अभियुक्त पंकज की ओर से न्यायिक अभिरक्षा में रहते हुये मु०अ०सं०–248/2021, धारा 41/102 सी–आर०पी०सी० एवं 414 भा० द० सं०, थाना रसूलपुर, जिला फिरोजाबाद के प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है।

अभियोजन का कथन संक्षेप में यह है कि वादी मुकदमा उ० नि० अर्जुन द्वारा थाना हाजा पर इस आशय से फर्द बरामदगी दाखिल की गयी कि दि० 25–05–2021 को वह मय हमराह है० कां० कन्हैया लाल एवं कां० संदीप कुमार के चैकिंग संदिग्ध वाहन व व्यक्ति, रोकथान जुर्म जरायम में मामूर होकर थाना हाजा से वहवाले रपट नं० 044 समय 16.00 बजे रवाना होकर भाटिया तिराहा पर मामूर थे कि तभी मुखविर खास द्वारा आकर सूचना दी कि एक मोटर साइकिल FZ पर सवार दो व्यक्ति पुष्पांजलि हास्पीटल नगला बरी के पास खड़े है जिनके पास नाजायज असलाह हैं जल्दी की जाये तो पकड़े जा सकते हैं हम पुलिस वालों ने मुखविर की बात पर विश्वास कर मय मुखविर के एक दूसरे की जामा तलाशी ले देकर विश्वास किया कि किसी के पास जुर्म से सम्बन्धित कोई वस्तु नहीं है। हम पुलिस वाले मय मुखविर के नगला बरी चौराहे से आगे सर्विस रोड पर अंग्रेजी शराब के ठेके से पहले पहुंचे तो मुखविर ने इशारा कर के बताया कि पुष्पांजलि हास्पीटल के गेट के सामने जो दो व्यक्ति काली सफेद FZ मोटर साइकिल के पास खड़े हैं जिसमें से एक व्यक्ति ने लाल रंग की टी शर्ट व नीले रंग की जीन्स तथा दूसरे व्यक्ति ने हल्का आसमानी रंग की टी शर्ट व सफेद रंग की पेन्ट पहने है यही वो दोनों व्यक्ति है और मुखविर चला गया। हम पुलिस वालों को अचानक आता देख यह दोनों व्यक्ति सकपकाये और मोटर साइकिल पर बैठकर स्टार्ट करने

लगे हम पुलिस वालों ने दौड़कर घेरकर इन दानों व्यक्तियों को समय करीब 18.45 बजे पकड़ लिया। नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली तो मोटर साइकिल पर आगे बैठे व्यक्ति ने अपना नाम बादल पुत्र स्व० राजबहादुर निवासी संतोष नगर गली नं० 1 थाना उत्तर जनपद फिरोजाबाद बताया। जामा तलाशी से एक तमंन्चा 315 बोर चालू हालत में बरामद हुआ। पहनी पेन्ट की दाहिनी जेब से एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ व वायी जेब से वीवो कम्पनी का एक एन्ड्रोड मोवाइल बरामद हुआ। मोबाइल के बारे में पूछने पर बताया कि उसने यह मोबाइल करीब 7–8 महीने पहले जाटवपुरी चौराहे से कोटला चुंगी की ओर जाने वाले सर्विस रोड पर से जा रहे एक व्यक्ति से हम दोनों ने मिलकर लूटा था। पीछे बैठे व्यक्ति से नाम पता पूछते हुए जामा तलाशी ली गयी तो इसने अपना नाम पंकज पुत्र स्व० संतोष निवासी संतोष नगर गली नं० 9/3 थाना उत्तर जिला फिरोजाबाद बताया। जामा तलाशी से पेन्ट की बायी फैंट में उरसा एक तमंचा 315 बोर चालू हालत में बरामद हुआ। पेन्ट की दाहिनी जेब से एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ तथा मोटर साइकिल FZ नं० up83v/0014 के बारे में पूछा तो पंकज ने बताया कि यह मोटर साइकिल उसने अपने दोस्त से खरीदी है जिसके कागजात उसके पास अभी नहीं है। दोनों व्यक्तियों से तमंचा कारतूस रखने का लाइसेन्स तलब किया तो नहीं दिखा सके और माफी मांगते हुए बताया कि कि हम दोनों दोस्त हैं। हम इस मोटर साइकिल से सड़क किनारे मोबाइल फोन को लेकर जा रहे लोगों को तमंचे को दिखाकर डराकर उनसे मोबाइल लूटते हैं तथा लूटे हुए मोबाइलों को राह चलते हुए व्यक्तियों को कम कीमत पर बेच देते हैं। साहब हम से गलती हो गयी हमें माफ कर दो। अभियुक्तगण को जुर्म से अवगत कराया। हिरासत पुलिस में लिया गया। बरामद शुदा तमंचा कारतूस को अलग अलग कपड़ों रखकर सिलकर सील सर्वे मुहर कर नमूना मुहर तैयार किया। बरामद शुदा मोबाइल को चिटबन्दी कर अलग प्लास्टिक के जार में रखकर सील सर्वेमुहर कर नमूना मोहर तैयार किया गया। मोटर साइकिल का चालान कर शीज किया गया। बरामद शुदा माल मोटर साइकिल व मुल्जिमान को थाना लाकर दाखिल किया गया।

जमानत प्रार्थनापत्र के साथ संलग्न शपथपत्र में आधार जमानत यह व्यक्त किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त ने कोई अपराध नहीं किया है। प्रार्थी/अभियुक्त को मुकदमा उपरोक्त में झूंठा फंसाया गया है। अभियोजन कहानी झूंठी व गलत तथ्यों पर आधारित है। अभियोजन के अनुसार दि० 25–05–21 को समय करीब 18.45 बजे पुष्पांजलि हास्पीटल के सामने से गिरफतार करना दर्शाया है जो काफी व्यस्त इलाका है तथा हास्पीटल में काफी भीड़ रहती है जहां से अभियुक्त बादल के कब्जे से मोबाइल की बरामदगी दर्शायी गयी है। परन्तु जनता का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त के कब्जे से कोई बरामदगी नहीं हुई है जो मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित हो। प्रार्थी/अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र है। अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में ना तो प्रस्तुत किया है, ना ही विचाराधीन है। प्रार्थी/अभियुक्त जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा। प्रार्थी/अभियुक्त अपनी उचित जमानत देने को तैयार है। और जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की है।

विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का सख्त विरोध किया गया है

मेरे द्वारा आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्को को विस्तार से सुना तथा पत्रावली का सम्यक अवलोकन किया गया।

प्रस्तुत मामले में कथित रूप से लूट का मोबाइल सहअभियुक्त बादल से बरामद होना कहा गया है जो किसी मामले से कनेक्ट नहीं किया गया है। अन्य सम्बन्धित मुकदमों में अभियुक्त की जमानत हो चुकी है। अभियुक्त उपरोक्त मामले में दि० 26–06–2021 से कारागार में निरूद्ध है। मामले के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आधार जमानत पर्याप्त है। अतः अभियुक्त द्वारा मुव० 50 हजार रूपये का व्यक्तिगत बंध पत्र तथा इतनी ही राशि की दो जमानतें न्यायालय की संतुष्टि पर दाखिल करने पर उसे जमानत पर रिहा किया जाये।

दिनांकः 17–08–2021

(रवीन्द्र कुमार)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(द०प्र०क्षे०)कोर्ट सं०–11 फिरोजाबाद